

परियोजना का नाम:- Vindhya Telelinks Ltd द्वारा यमुना पुल से कैम्पटी तक
घाट की स्थापना द्वारा 'OFC' बिछाना
संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 30-04-18 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री जतन दास राजस्व विभाग की ओर से श्री सुनील चौधरी प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मीरन सिंह द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.204 है, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.282 है, वन पंचायत भूमि Nil है एवं नाप भूमि Nil है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है। (अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है)

नहीं है, आवेदित क्षेत्र में कोई भी वृक्ष पातन में शामिल नहीं है। आवेदित क्षेत्र रा. राजमार्ग डिहवाला के अन्तर्गत है।
आरक्षित भूमि = $6.8 \text{ km} \times 1000 = 6800 \times 0.30 = 2040/10,000 = 0.204$ है,
सिविल भूमि = $9.4 \times 1000 = 9400 \times 0.30 = 2820/10,000 = 0.282$ है,


ह0 (प्रयोक्ता एजेन्सी)

राजस्व उप निरीक्षक
भटोली
तहसील नैजबाग, टि0ग0

वन क्षेत्र अधिकारी
कैम्पटी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

जतन दास
वनदरोगा

ह0 राजस्व उप निरीक्षक
कैम्पटी
राजस्व विभाग-प्रतिनिधि
डिहवाला, टि0ग0

ह0 उप प्रभागीय जनाधिकारी
कैम्पटी
वन विभाग प्रतिनिधि
मसूरी वन प्रभाग

श्री. दाजा
तहसीलदार
घमोली
टिहरी गढ़वाल

प्रति हस्ताक्षरित
जिलाधिकारी

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय जनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

श्री. दाजा
जमाती अधिकारी
कृते जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल